<u>ग्राम पंचायत सिहोरपाई, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन</u>
<u>अवधि 01.04.13 से 31.03.16</u>

1 **<u>प्रस्तावना:-</u>**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिहोरपाई, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	**नाम**	**अवधि**
1	श्री प्यार सिंह तलवार	01/04/2013 22/01/2016
2	श्रीमती सोमा देवी	23/01/2016 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	**नाम**	**अवधि**
1	श्री पवन किशोर	01/04/2013 से 01/05/2013
2	श्री रमन कुमार	01/05/2013 31/03/2016

(ख) **<u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-**

ग्राम पंचायत सिहोरपाई के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	7	अनुदान का उपयोग न करना	12.34
2	8	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	2.68
3	11	खण्ड विकास अधिकारी देहरा को किए गए अग्रिम के भुगतान का समायोजन/वसूली शेष	0.17
4	12	Assessment Assessment के बिना भुगतान करना	4.84

5	13	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	1.49

2 **<u>वर्तमान अंकेक्षण</u>:-**

ग्राम पंचायत सिहोरपाई , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार, कानिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 2-7-2016 से 6-7-2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	03/2014	07/2013
2014-15	02/2015	06/2014
2015-16	03/2016	10/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **<u>अंकेक्षण शुल्क</u> :-**

ग्राम पंचायत सिहोरपाई , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200/-को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 156/201 दिनांक 06/07/2016 द्वारा अनुरोध किया ग या। अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ज्वालामुखी शाखा के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 794939 दिनांक14/07/2016 द्वारा भेज दी गयी है |

4 **<u>वितीय स्थिति</u>:-**

ग्राम पंचायत सिहोरपाई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व: स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत सिहोरपाई के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व : स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	141087	38383	179470	11977	167493
2014-15	167493	53160	220653	30310	190343
2015-16	190343	105094	295437	23929	271508

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत सिहोरपाई के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	3090180	3208117	3517297	3291398	225899
2014-15	225899	2619085	2844984	2437465	407519
2015-16	407519	2801905	3209424	1974745	1234679

5 **बैंक समाधान विवरणी के तैयार न करने के कारण रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अंतिम शेष में ₹40541.62 का भारी अंतर:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सिहोरपाई द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जिस कारण बर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत मे दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातो मे ₹40541.62 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियो का बैंक खातो से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1	रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष	271508
2	रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	1234679
	योग	**1506187**

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**

1	पंजाब नेशनल बैंक ज्वालामुखी	717000102751988	51543.62
2	पंजाब नेशनल बैंक ज्वालामुखी	7170001027519790	101722
3	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	20056061049	0
4	पंजाब नेशनल बैंक ज्वालामुखी	717000100133782	0
5	एच जी बी देहरा	87860101831876	0
6	के सि सि बैंक देहरा	2008005581	123875
7	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	500559442195	156406
8	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055942253	641
9	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055935132	0
10	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055942184	978286
11	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055935303	8643
12	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055942297	22626
13	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055935245	11194
14	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055942219	6873
15	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055943347	81166
16	के सी सी बैंक ज्वालामुखी	50055942638	0
		Total	**1542975.62**
		हस्तगत राशि	**3753**
		योग	**1546728.62**

अंतर 1546728.62-1506187= ₹40541.62

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 अनुदान ₹1234679 का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1234679 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹268452 का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत सिहोरपाई द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार SFC,MNREGA,MMGPY.MPLAD,GRDY,FISHRIES में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹268452 की राशि ऋणआत्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SFC,MNREGA,MMGPY.MPLAD,GRDY,FISHRIES में अथवा किसी अन्य योजना से SFC,MNREGA,MMGPY.MPLAD,GRDY,FISHRIES का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

1	SFC	15163
2	MNREGA	122249

3	MMGPY	91123
4	MPLAD	33877
5	GRDY	3310
6	FISHRIES	2730
	योग	₹ **268452**

9 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

10 लाभार्थियों से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :-

आई डब्लू ऍम पी अनुदान के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थिओं के निर्माण कार्य यथा वाटर टैंक तथा अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है उनसे कुल व्यय राशि का 5% भाग प्राप्त करना तथा उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करवाना था। अंकेक्षण अवधि के दौरान आई डबलू ऍम पी के लाभार्थिओं से कितनी राशि प्राप्त की गयी है उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी और न ही उसकी जाँच की जा सकी । अत: इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 खण्ड विकास अधिकारी देहरा को स्वयं स्त्रोत से सीमेंट क्रय करने के लिए भुगतान की गयी ₹17475 के अग्रिम बारे:-

वाउचर संख्या 11/1 मास 5/2013 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी देहरा को स्वयं स्त्रोत से 75 बैग सीमेंट क्रय करने के लिए ₹17475 की अग्रिम/उधार राशि का भुगतान किया गया परन्तु इस राशि को खण्ड विकास अधिकारी देहरा द्वारा लोटाया नहीं गया है । अत: मामला खण्ड विकास अधिकारी देहरा कार्यालय से उठाया जाए तथा स्वयं स्त्रोत से सीमेंट क्रय करने

के लिए भुगतान की गयी ₹17475 को वापिस लिया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

12 **<u>Assessment के बिना भुगतान करना :-</u>**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की Assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹**484210** का भुगतान assessment के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

13 **<u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹149380 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का स्टॉक रजिस्टर भी लगाया गया है तथा उसमें निर्माण कार्यों की कुछ मदों को दर्ज किया गया है। परन्तु **परिशिष्ट** में दर्शाई गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विन्योज्न से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुनिशित किया जाए।

14 **<u>अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-</u>**

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है। जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान

आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

15 <u>मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-</u>

ग्राम पंचायत सिहोरपाई की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया। अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

16 <u>मस्टररोल को निर्माण कमेटी तथा VIGILENCE कमेटी से सत्यापन न करवाना:-</u>

ग्राम पंचायत सिहोरपाई द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टररोल पर भुगतान किया गया परन्तु नियमानुसार मस्टर रोल को निर्माण कमेटी तथा VIGILENCE कमेटी से सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का   ओचित्य स्पष्ट किया जाए !

17 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

18 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

19 <u>लघु आपति विवरणिका:-</u> इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

20 निष्कर्ष :- ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 12/2016–खण्ड–1–6263–6266 दिनाँकः24.11.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सिहोरपाई, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पैरा संख्या 16 के संदर्भ में परिशिष्ट (3)ग्राम पंचायत सिहोरपाई द्वारा भंडार पंजिका में न दर्ज की गयी मदों की सूचि

<u>मनरेगा</u>

वाउचरसंख्या	**मास**	**मद का नाम**	**मात्रा (CFT)**	**दर (रुपये)**	**राशि (रुपये)**
30	6/2014	(i)बजरी (ii)सोलिंग (iii)बजरा	890 1400 630	18 14 14	16020 19600 8820

		(iv)रेत	700	14	9800
31	6/2014	(i)बजरी (ii)सोलिंग (iii)बजरा (iv)रेत	300 630 770 1050	18 14 14 14	5400 8820 10780 14700
38	10/2015	(i)बजरी (ii)पत्थर (iii)बजरा (iv)रेत	70 560 40 280	18 14 14 14	1260 7840 560 3920
GENERAL CASH BOOK					
55	10/2015	(i)बजरी (ii)बजरा (iii)रेत	140 350 980	18 14 14	2520 4900 13720
60	10/2015	(i)बजरी (ii)सोलिंग (iii)बजरा (iv)रेत	280 490 490 140	18 14 14 14	5040 6860 6860 1960
				योग	149380

पैरा संख्या 15 के संधर्भ में परिशिष्ट (2)

निम्नानुसार दर्शाए गए कार्यों की मापन पुस्तिकायें तथा Assemant तैयार नहीं की गई

मनरेगा

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
30	7/2013	निर्माण तालाब पवन कुमार और प्यार चाँद आदि की जमीन में	19596

31	7/2013	निर्माण तालाब पवन कुमार और प्यार चाँद आदि की जमीन में	20838
32	7/2013	निर्माण लिंक रोड PWD रोड से रसीला राम के घर तक	25736
33	7/2013	यथोपरी	15677
6	6/2014	निर्माण लिंक रोड ज्वालामुखी चम्बा पतन से गासी गांब तक	9240
7	6/2014	निर्माण तालाब पवन कुमार और प्यार चाँद आदि की जमीन में	13860
8	6/2014	निर्माण नालियां किरपा राम की जमीन में	13706
32	6/2014	निर्माण RWHT मुकुंद लाल	5156
33	6/2014	निर्माण RWHT सुरेन्द्र कुमार	5156
35	6/2014	निर्माण RWHT राजीव कुमार	8323
38	6/2014	निर्माण RWHT अजय खट्टा	4893
33	10/2015	निर्माण RWHT अजय खट्टा	2480
34	10/2015	निर्माण RWHT दलजीत सिंह	1500
35	10/2015	निर्माण RWHT प्रीतम चन्द	4000
36	10/2015	निर्माण RWHT मुकंद लाल	6700
37	10/2015	निर्माण RWHT देस राज	4500
38	10/2015	निर्माण RWHT प्यार सिंह	15080
39	10/2015	निर्माण RWHT बच्चन सिंह	1500
40	10/2015	M/S चौहान ट्रेडिंग कम्पनी	4745
41	10/2015	निर्माण RWHT देस राज	6110
42	10/2015	निर्माण RWHT दलजीत सिंह	4150
43	10/2015	M/S चौहान ट्रेडिंग कम्पनी	4810
44	10/2015	निर्माण RWHT करण लाल	4336
45	10/2015	निर्माण RWHT दलजीत सिंह	9214
45	10/2015	मस्टरोल रमेश चन्द्र	4878
47	10/2015	मस्टरोल रमेश चन्द्र	2981
48	10/2015	मस्टरोल मान चन्द्र	8943

49	10/2015	मस्टरोल गोरख राम	8401
50	10/2015	मस्टरोल रमेश चन्द्र	9214
<u>सामान्य रोकड़ दही</u>			
	10/2015	निर्माण रास्ता बिशन दास मिस्त्री के घर तक से सूंका राम के घर तक	50782
	10/2015	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से किशन चंद और अजित कुमार के तक	4117
54	10/2015	निर्माण सामुदायक हाल जख मंदिर रैन्खा	39062
55	10/2015	निर्माण तालाब CAS जजबाढ़	29580
56	10/2015	योथोपरी	4450
57	10/2015	योथोपरी	2100
58	10/2015	योथोपरी	1600
59	10/2015	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से किशन चंद और अजित कुमार के तक	21030
60	10/2015	योथोपरी	20720
64	10/2015	निर्माण रास्ता बिशन दास मिस्त्री के घर तक से सूंका राम के घर तक	25066
65	10/2015	निर्माण लिंक रोड होशियार सिंह के घर से प्रेम चदं के घर तक	39980
		<u>कुल योग</u>	**484210**